भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2522

सोमवार, 18 दिसम्बर, 2023 / 27 अग्रहायण, 1945 (शक)

चाय-बागान कामगारों हेतु सामाजिक सुरक्षा योजना

2522. श्री राजा अमरेश्वर नाईक:
श्री भोला सिंह:
डॉ. सुकांत मजूमदार:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री विनोद कुमार सोनकर:
क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास ई.एस.आई. सहित देश में चाय-बागान कामगारों के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उन बागान-मालिकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है जो भविष्य निधि के अपने हिस्से का भुगतान नहीं करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चाय-बागान के कामगारों को निर्धारित न्यूनतम दैनिक मजदूरी नहीं मिल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार की चाय-बागान कामगारों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को मुआवजा देने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार की देश में बागान-कामगारों के स्वास्थ्य और कल्याण की स्थिति में सुधार करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में चाय-बागान कामगारों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (च): चाय बागान कामगारों के लिए कल्याण उपाय, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बागान श्रम अधिनियम, 1951 के अनुरूप कार्यान्वित किए जाते हैं, जो चाय बागानों को चाय बागान कामगारों के लिए आवास, चिकित्सा और प्राथमिक शिक्षा, जल आपूर्ति, स्वच्छता आदि जैसी बुनियादी कल्याण सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु अधिदेशित करता है।

बागान श्रम अधिनियम को अब व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं, श्रम संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में समाहित कर लिया गया है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में बागान मालिकों को अपने कामगारों को ईएसआईसी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) के सदस्य के रूप में नामांकित करने का विकल्प देने की परिकल्पना की गई है।

जारी..2/-

चाय उद्योग के कामगारों को उपदान, पेंशन, बोनस, प्रसूति प्रसुविधा, मजदूरी आदि जैसे सभी सामाजिक सुरक्षा विधानों द्वारा भी कवर किया जाता है। बागान कामगार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।

इसके अलावा, सरकार चाय बोर्ड के माध्यम से चाय बागानों में चाय बागान कामगारों और उनके आश्रितों के लिए विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों को क्रियान्वित करती है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अनुसार चाय बागान कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

बागान मालिकों द्वारा भविष्य निधि के हिस्से का भुगतान न किए जाने की स्थिति में कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

*****